

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 01-12-17

विषय:- समादेश याचिका संख्या-7391/2006 विजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-19.07.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्व० हूलास सिंह, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के मृत्यु सह उपादान एवं पेंशन बकाये के रूप में भुगतान की गयी कुल राशि 42,306/- पर 8% की दर से ब्याज की राशि के भुगतान हेतु जयधोष सूद की राशि ₹ 62,627/- (बासठ हजार छः सौ सताईस) रू. मात्र का उप आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित के संबंध में विभागीय निर्गत 104(7) दिनांक-25.09.2017 तथा वित्त विभागीय ज्ञापांक-1053/वि० दिनांक-16.10.17 (प्रति संलग्न) के आलोक में राशि राशि ₹ 62,627/- (बासठ हजार छः सौ सताईस) मात्र का उप आवंटन दी जाती है ।


2. उपर्युक्त सूद की राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2017-18 में रथापना एवं प्रतिबध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-13, बजट शीर्ष 2049-ब्याज- आदायगियाँ (प्रभृत)-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज -701-विविध उपशीर्ष-0005-- बिलंबित भू० पर सभी तरह का पेंशन (पारिवारिक पेंशन समेत) और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपादान के बकाये राशि, विस्तृत शीर्ष-45-ब्याज, विषय शीर्ष-01-ब्याज, विपत्र कोड संख्या-13-2049607010005 अन्तर्गत उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा ।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायगी ।

4. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 वि० (2) दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है ।

5. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : १४(७)९

पटना, दिनांक : 01-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-5, 7/ लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को अतिरिक्त प्रतियों के साथ /आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव

16

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं० सं.-7/न्यायालय-27-05/2017...104(7)/

पटना, दिनांक- 25/09/2017

सेवा में,
महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना ।

विषय:- जयधोष राशि के व्यय की स्वीकृति ।


समादेश याचिका संख्या-7391/2006 विजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-19.07.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्व० हूलास सिंह, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के मृत्यु सह उपादान एवं पेंशन बकाये के रूप में भुगतान की गयी कुल राशि 42,306/- पर 8% की दर से ब्याज की राशि के भुगतान हेतु जयधोष सूद की राशि ₹ 62,627/- (बासठ हजार छः सौ सताईस) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. उपर्युक्त सूद की राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-13, बजट शीर्ष 2049-ब्याज-आदायगियाँ (प्रभृत)-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज -701-विविध -0005- बिलंबित भू० पर सभी तरह का पेंशन (पारिवारिक पेंशन समेत) और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपादान के बकाये राशि, विस्तृत शीर्ष-45-ब्याज, विषय शीर्ष-01-ब्याज, विपत्र कोड संख्या-13-2049607010005 अन्तर्गत उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा ।

3. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायगी ।

4. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन आदेश अलग से निर्गत होगा ।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 104(7)

पटना, दिनांक : 25-09-17

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा / माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के सचिव / निदेशक प्रमुख के सचिव / विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / प्रतियों प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, 7 एवं संबंधित सहायक / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव

01C

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश झा,
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- समादेश याचिका सं०- 7391/2006 विजय कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दायित्व न्यायादेश के आलोक में देय जयघोष सूद की राशि रूपये 62,627/- (बासठ हजार छः सौ सताईस) रूपये का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०-104 (7) दिनांक- 25.09.2017 के आलोक में राशि, रूपये 62,627 /- (बासठ हजार छः सौ सताईस) रूपये मात्र निधि आवंटन की जाती है।

2. उपर्युक्त व्यय का विकलन वित्तिय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत मांग सं०-13, बजट शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियों (प्रभृत), 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, 701-विविध, 0005- बिलंवित भू पर सभी तरह का पेंशन (पारिवारिक पेंशन समेत) और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपादान के बकाये राशि, विस्तृत शीर्ष 45-ब्याज, विषय शीर्ष 01-ब्याज, विपत्र कोड-13-2049.60.701.0005 के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के विपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया गया है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-सह-बजट पदाधिकारी।

ज्ञापांक- अ०पा० 17/2017

/वि०,

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

ज्ञापांक- अ०पा० 17/2017

1053

/वि०,

पटना, दिनांक16/10/17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।